"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 327] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2002—पौष 3, शक 1924

गृह (परिवहन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-46/दो/आठ-परि./02.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (1) एवं (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री गणेश शंकर मिश्रा, उप-सचिव, गृह विभाग छत्तीसगढ़ शासन को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिये, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

क्रमांक एफ 5-46/दो/आठ-परि./02.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 24-12-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

Raipur, the 24th December 2002

NOTIFICATION

No. F 5-46/II/VIII-Trans./02.—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 68 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government appoint, Shri Ganesh Shankar Mishra, Deputy Secretary. Home Department Government of Chhattisgarh as Regional Transport Authority for the whole Chhattisgarh area.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
R. K. VIJ, Special Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.